जनसत्ता

10 जून, 2019

हिंसा की राजनीति

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई ताजा हिंसक झड़पों में चार कार्यकर्ताओं के मारे जाने की खबर है। उनमें तीन भाजपा के और एक तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास पुराना है। वहां मामूली बातों को लेकर भी अक्सर सत्तापक्ष और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हो जाती हैं। ताजा घटना में भी विवाद झंडा उतारने को लेकर हुआ और वह इस कदर बढ़ा कि चार कार्यकर्ताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं के बीच वैचारिक टकराव स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर वह हिंसक रूप ले ले तो उसे किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। इसके लिए संबंधित दलों का नेतृत्व जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि वह अपने कार्यकर्ताओं को मर्यादित और लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार करने की सीख देने में विफल होता है। पश्चिम बंगाल की हिंसा में भी कहीं न कहीं दोनों दलों के नेतृत्व की कमी है। लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों के बीच शुरू हुई वर्चस्व की लड़ाई ने वहां एक अनवरत चलने वाली हिंसा का वातावरण बना दिया है।

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की नेता और प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरू से भाजपा और केंद्र सरकार पर हमलावर रही हैं। वे उन पर हमला करने के क्रम में असंसदीय और अमर्यादित शब्दों के उपयोग से भी गुरेज नहीं करतीं। उनके भाषणों में भाजपा के प्रति एक प्रकार की नफरत और हिंसक लहजा होता है। उसका असर निस्संदेह उनके पार्टी कार्यकर्ताओं पर पड़ता है और वे आक्रामक रुख अख्तियार करते देखे जाते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के समय भी कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष के रोड शो के दौरान तृणमूल और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति तक तोड़ डाली गई। फिर दोनों दल एक-दूसरे पर तीखे आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे। मतदान केंद्रों पर भी अनेक जगह दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़पें देखी गईं। अब लोकसभा चुनाव में भाजपा ने तृणमूल को कड़ी टक्कर देते हुए अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। उसका मलाल भी कहीं न कहीं तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं में बना हुआ है। मगर हिंसा के जरिए राजनीतिक हैसियत हासिल करने की कोशिश किसी सभ्य समाज की निशानी नहीं हो सकती।

राजनीति के अपराधीकरण को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है, मगर इसे किसी भी राजनीतिक दल ने गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह है कि हर चुनाव के बाद नगर निगम से लेकर संसद तक में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की पैठ कुछ बढ़ी हुई दर्ज होती है। इस तरह हर राजनीतिक दल में कहीं न कहीं इसे लेकर स्वीकार्यता है कि बाहुबल और हिंसा के जरिए अपना दबदबा बनाया जा सकता है। इसीलिए हर राजनीतिक दल आपराधिक वृत्ति के अपने कार्यकर्ताओं के दोष छिपाने का प्रयास करता देखा जाता है। जाहिर है, इससे नीचे के कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं यह भरोसा बना रहता है कि पार्टी के नेता उनकी अराजक गतिविधियों पर परदा डालते रहेंगे। बंगाल की हिंसा के पीछे भी यही मानसिकता काम कर रही है। अगर पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व हिंसा के खिलाफ होते, तो वे एक-दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित करने में जुटते।

राहत और उम्मीद

भारतीय रिजर्व बैंक ने सालों से गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की समस्या से जूझ रहे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अब जो नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, उससे यह उम्मीद बनती है कि इस दिशा में अब कुछ तो कामयाबी मिलेगी। कर्जदारों से कुछ तो पैसा वसूल होगा, भले पूरा न हो पाए। बैंकों का तेजी से बढ़ता एनपीए वित्तीय क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या बना हुआ है। जब-तब जो आंकड़े आते रहे हैं वे चौंकाने वाले रहे हैं। आठ लाख करोड़ तो कभी दस लाख करोड़। अभी भी मोटे तौर पर माना जा रहा है कि एनपीए का आंकड़ा दस लाख करोड़ रुपए के ऊपर ही है। जाहिर है, बैंकों का दस लाख करोड़ रुपए फंसा हुआ है कर्जदारों के पास। यह वह रकम है जिसे वसूल पाने में बैंक नाकाम रहे हैं। एनपीए की इस समस्या ने बैंकिंग क्षेत्र की सेहत खराब करके रख दी है। ज्यादातर बैंकों की माली हालत संतोषजनक नहीं है। पिछले साल कुछ बैंक तो कर्ज दे पाने तक की स्थिति में नहीं रह गए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बढ़ता एनपीए बैंकों को किस कदर कमजोर कर रहा होगा। बैंकिंग क्षेत्र की बिगड़ती हालत से अर्थव्यवस्था भी अछूती नहीं रहती है। ऐसे में सबसे जरूरी है बैंकों का फंसा हुआ पैसा निकले, भले पूरा नहीं निकल पाए, लेकिन जितना बैंक वसूल लें वही उनके फायदे का सौदा होगा।

रिजर्व बैंक ने एनपीए की वसूली के लिए अब जो दिशानिर्देश जारी किए हैं, वे कर्जदारों के लिए जरा राहत भरे हैं। अब बैंकों को चूककर्ताओं यानी डिफॉल्टर की पहचान के लिए तीस दिन का वक्त दिया गया है। अब बैंक खुद ही यह तय कर सकेंगे कि किसी डिफॉल्टर के साथ उन्हें क्या करना है। कुल मिला कर इस कवायद का मकसद यही है कि कर्जदार को जरा मौका दिया जाए, ताकि वसूली का रास्ता बंद न हो। वरना ज्यादातर मामले कानूनी जाल में फंस जाते हैं और कर्ज वसूली की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं। कर्जदार इसी का फायदा उठाते रहे हैं। हालांकि सभी कर्जदार ऐसा करते हैं, यह कहना भी उचित नहीं है। लेकिन कर्जदारों का बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो मामले को कानूनी जाल में उलझा कर उसका फायदा उठाता है और लंबे समय तक मामले को लटकाए रखना चाहता है। एनपीए ऐसे ही कर्जदारों की वजह से बढ़ा है। कई बड़ी परियोजनाओं में फंसे कर्ज की रकम तो इसीलिए नहीं निकल पा रही है कि कई कारणों से परियोजनाएं ठप हो गईं और पैसा फंस गया। इनमें बिजली और ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाएं ज्यादा हैं।

बढ़ते एनपीए से चिंतित रिजर्व बैंक ने पिछले साल बैंको पर सख्ती की थी और एनपीए वसूली के लिए कड़े निर्देश जारी किए थे। रिजर्व बैंक ने साफ कहा था कि अगर कोई कंपनी बैंक का कर्ज चुकाने में एक दिन भी चूक जाती है तो उसे एनपीए मानते हुए बैंक एक सौ अस्सी दिन के भीतर उसका समाधान करें, अन्यथा वह मामला दिवालिया कोर्ट में जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस साल इस केंद्रीय बैंक के इस निर्देश को रद्द कर दिया। इसके बाद ही केंद्रीय बैंक ने नए दिशानिर्देश जारी किए। अभी ये निर्देश दो हजार करोड़ और इससे ज्यादा के कर्जों पर लागू होंगे। लेकिन एक जनवरी, 2020 से ये डेढ़ हजार करोड़ तक कर्जदारों पर भी लागू होंगे। अब जिम्मेदारी कर्ज देने वाले बैंकों पर ज्यादा होगी, क्योंकि वसूली के अधिकतम विकल्प उन्हें ही रखने होंगे। जैसे भी हो, बिना किसी कानूनी झंझट के और जल्दी ही बकाया की वसूली हो, बैंकों को यह प्रयास करना होगा।

कल्पमेधा

जो वर्तमान की उपेक्षा करता है वह अपना सब कुछ खो देता है।

-शिलर

कौशल विकास और रोजगार

जयंतीलाल भंडारी

विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां दुनिया में 2030 तक कुशल कामगारों का संकट होगा, वहीं भारत के पास करीब पच्चीस करोड़ अतिरिक्त कुशल कामगार होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक दुनिया के उन्नीस विकसित और विकासशील देशों में साढ़े आठ करोड़ से ज्यादा कुशल श्रमशक्ति की कमी होगी। दुनिया में भारत इकलौता देश होगा जिसके पास 2030 तक जरूरत से ज्यादा कुशल कामगार होंगे।

हाल में केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) ने श्रम बल के नवीनतम आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि वर्ष 2017-18 के दौरान देश में बेरोजगारी की दर 6.1 फीसद रही है। शहरों में नौकरी लायक युवाओं में 7.8 फीसद बेरोजगार हैं, जबकि गांवों में यह आंकड़ा 5.3 फीसद है। सरकार का कहना है कि रोजगार आंकड़ों को नए डिजाइन और नई मैट्रिक्स के तहत एकत्रित किए जाने से पिछली रोजगार रिपोर्टों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। जबकि आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि देश में बेरोजगारी की दर पैंतालीस साल में सर्वाधिक है।

ऐसे में रोजगार के मौके बढ़ाना निश्चित रूप से सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत में रोजगार अवसरों पर आधारित रिपोर्टों में यह कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रम का आधिक्य है, लेकिन कौशल की काफी कमी है। निश्चित रूप से उच्च शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से युक्त भारतीय युवाओं के लिए देश-विदेश में नौकरियों की कमी नहीं है। लेकिन नौकरियों की योग्यता के अभाव में इस समय ऊंची-ऊंची डिग्री रखने वाले युवा भी नौकरियों से दूर हैं। रोजगार परिदृश्य पर मौजूद चिंताओं के बीच कौशल विकास से ही करोड़ों युवाओं को रोजगार मुस्कराहट मिल सकती है।

उल्लेखनीय है कि न केवल परंपरागत डिग्री वाले छात्रों के समक्ष रोजगार की चिंताएं हैं, पेशेवर छात्र भी कौशल की कमी के कारण रोजगार संकट का सामना कर रहे हैं। देश के विभिन्न आइआइएम, आइआइटी और प्रमुख बिजनेस स्कूलों के कुछ छात्रों को तो मोटे वेतन पैकेज मिल रहे हैं। लेकिन अधिकांश कालेजों के अधिकांश छात्रों के समक्ष रोजगार संबंधी निराशाएं हैं। कई सर्वे में यह बात सामने आ चुकी है कि देश के सिर्फ दस फीसद इंजीनियर ही नौकरी के लिए जरूरी कौशल के लिहाज से नौकरी योग्य हैं। ऐसे में नौकरी संबंधी चिंताजनक स्थिति के कारण इंजीनियरिंग और प्रबंधन शिक्षा से छात्र विमुख हो रहे हैं।

इसमें कोई दोमत नहीं है कि अमेरिका और जापान सहित दुनिया के कई विकसित और विकासशील देशों में वरीयता और योग्यता के आधार पर विदेशी युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं का जो नया परिदृश्य उभरकर सामने आया है, उसमें भारतीय प्रतिभाओं के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। अब तक अमेरिका सहित कई देशों में लंबे समय से निवास करने वाले, उन निवासियों के पारिवारिक संबंधों के आधार पर और सस्ती मजदूरी पर काम करने वाले लोगों को नागरिकता और वीजा दिए जाने में प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन अब अमेरिका और जापान सहित विभिन्न देशों में उनके नवनिर्माण और विकास में योगदान दे सकने वाली विदेशी प्रतिभावान नई पीढ़ी को प्राथमिकता दी जाने लगी है। ऐसे में भारत की नई पेशेवर पीढ़ी के लिए अपार संभावनाएं बन रही हैं। पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने योग्यता आधारित एवं अंक आधारित जो नई आव्रजन नीति पेश की, उसके तहत मौजूदा ग्रीन कार्ड की जगह 'बिल्ड अमेरिका' वीजा लाने का प्रस्ताव रखा गया है। अमेरिका की इस नीति के तहत युवा एवं उच्च दक्ष पेशेवरों के लिए वीजा आरक्षण बारह प्रतिशत से बढ़कर सत्तावन प्रतिशत हो जाएगा। अब नई व्यवस्था से उन हजारों भारतीय पेशेवरों और दक्ष कर्मियों को लाभ होने की उम्मीद है जो औसतन करीब एक दशक से अधिक समय से ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार कर रहे हैं।

निसंदेह अमेरिका में वैध आव्रजन की मौजूदा प्रणाली देशभर की प्रतिभाओं को बरकरार रखने में नाकाम रही है। अब योग्यता आधारित आव्रजन प्रणाली के तहत स्थायी कानूनी आवास, आयु, ज्ञान, रोजगार के अवसर के आधार पर उन लोगों को दिया जाएगा जो नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझते हों। इसके अलावा प्रस्तावित प्रणाली के तहत आव्रजकों को अंग्रेजी सीखनी होगी और दाखिले से पहले नागरिक शास्त्र की परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी। बिल्ड अमेरिका वीजा योग्यता, उम्र, शैक्षणिक काबिलियत, अंग्रेजी में दक्षता आदि के आधार पर निर्धारित होगा।

जापान के मशहूर उद्यमी हिरोयुकी तायकुची सान ने पिछले दिनों भारत की नई पीढ़ी के लिए जापान में रोजगार की नई संभावनाओं को रेखांकित किया। हिरोयुकी ने कहा कि जापान की औद्योगिक और कारोबार आवश्यकताओं में तकनीक और नवाचार का इस्तेमाल तेज होने की वजह से जापान में सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) के साथ ही कई अन्य क्षेत्रों में

मसलन स्वास्थ्य, कृषि, अनुसंधान और विकास, सेवा व वित्त आदि क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षित कार्यबल की भारी कमी अनुभव की जा रही है। खासतौर से जापान की बुजुर्ग होती जनसंख्या और जापान में जन्म दर गिरने की वजह से जापान में पेशेवरों की सबसे अधिक जरूरत है। चूंकि जापान में विभिन्न सांस्कृतिक व कारोबारी संबंधों के कारण अन्य विदेशियों की तुलना में भारतीयों को अधिक सम्मान दिया जाता है, अतएव जापान में भारतीय पेशेवरों के लिए रोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं। ऐसे में जापान में जहां जापान सरकार की एजंसी जापान विदेश व्यापार संगठन (जेईटीआरओ) के द्वारा वर्ष 2020 तक दो लाख भारतीय पेशेवरों की पूर्ति हेतु कार्य योजना बनाई गई है, वहीं जापान के निजी क्षेत्र ने तीन लाख भारतीय पेशेवरों की जरूरत बताई है। ऐसे में दो साल में पांच लाख भारतीय पेशेवर जापान में अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां दुनिया में 2030 तक कुशल कामगारों का संकट होगा, वहीं भारत के पास करीब पच्चीस करोड़ अतिरिक्त कुशल कामगार होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक दुनिया के उन्नीस विकसित और विकासशील देशों में साढ़े आठ करोड़ से ज्यादा कुशल श्रमशक्ति की कमी होगी। दुनिया में भारत इकलौता देश होगा जिसके पास 2030 तक जरूरत से ज्यादा कुशल कामगार होंगे। ऐसे में भारत विश्व के तमाम देशों में कुशल कामगारों को भेज कर लाभ उठा सकेगा। भारत की युवा आबादी कौशल प्रशिक्षित होकर मानव संसाधन के परिप्रेक्ष्य में दुनिया के लिए उपयोगी और भारत के लिए आर्थिक कमाई का प्रभावी साधन सिद्ध हो सकती है। निश्चित रूप से दुनिया के अधिकांश देशों में योग्य पेशेवरों की मांग बढ़ रही है और अमेरिका की तरह कुछ और देश विदेशी पेशेवरों के लिए उपयुक्त नीति बना रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि देश के अधिकांश युवाओं को रोजगार मिले और भारतीय प्रतिभाएं देश की मिट्टी को सोना बना दें, तो जरूरी होगा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देकर उच्च शिक्षित युवाओं को रोजगार के योग्य बनाया जाए और सामान्य योग्यता वाले भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से सुसज्जित करने के साथ-साथ कार्यक्षम भी बनाया जाए।

इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारत की नई पीढ़ी और भारतीय पेशेवरों के लिए देश और दुनिया में रोजगार के द्वार खुल रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) के कारण उच्च कौशल प्रशिक्षित भारत की नई पीढ़ी को देश और दुनिया में अपार मौके मिलने की संभावना रहेगी। निश्चित रूप से उच्च शिक्षा और कौशल विकास पर उपयुक्त ध्यान देकर रोजगार की चुनौतियों के बीच रोजगार की नई संभावनाओं को साकार भी किया जा सकेगा। विश्व बैंक की 'रोजगार रहित विकास' नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि युवाओं की संख्या को देखते हुए हर साल इक्यासी लाख नई नौकरियां और नए रोजगार अवसर पैदा करने की जरूरत है। इतने रोजगार के अवसर और नौकरियां जुटाने के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, सार्वजनिक और निजी निवेश में भारी वृद्धि करनी होगी। विनिर्माण क्षेत्र को गतिशील करना होगा। निर्यात बढ़ाने होंगे। श्रम कौशल बढ़ाना होगा।

नदी का जीवन

गिरीश पंकज

दुनिया मेरे आगे

हम लोग अपनी-अपनी नदियों के प्रति कितने सजग हैं, इसका अनुमान नदियों की हालत देख कर ही लगाया सकता है। देश की अधिकतर नदियां प्रदूषण की मार झेल रही हैं। फिर चाहे उत्तर प्रदेश की गंगा हो, असी और वरुणा हो या आमी नदी हो। बनारस के बीचोंबीच से बहने वाली नदी असी तो 'असी नाला' के रूप में पहचानी जाती है। काशी में रहने वालों ने ही असी की ऐसी हालत कर दी है। उसके आसपास अवैध कब्जे करके सैकड़ों घर बना लिए गए। वर्षों पहले जब पहली बार कुछ लोगों ने असी के किनारे को पाटने की कोशिश की थी, तभी अगर लोग जाग्रत हो जाते तो आज यह नौबत नहीं आती।

अब जबकि पूरा परिदृश्य बदल चुका है, असी नदी नाले में तब्दील हो गई है तो मुट्ठी भर लोग वहां असी को बचाने और पुनर्जीवित करने की चिंता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की इंद्रावती, दूध, हसिया, हसदेव, शिवनाथ, खारुन, केलो या अरपा हो या पूर्वोत्तर की नांबुल नदी हो- नदी जब मरणासन्न होने लगती है, तब हमारी लोक चेतना जाग्रत होती है। तब मुट्ठी भर लोग नदी किनारे जाते हैं और उसे प्रणाम करके जन-जागरण यात्रा शुरू करते हैं। ऐसे आयोजन लगभग वार्षिक श्राद्ध की तरह अक्सर गरमी के मौसम में देखने को मिलते हैं।

हम अजीब दुनिया के प्राणी हैं। जो नदी हमारी मां की तरह है, जिसकी जलधार हमें जीवन देती है, उसी को हम नष्ट करने पर आमादा रहते हैं। भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकोट में एक बूंद भी पानी नहीं है, क्योंकि इंद्रावती लगभग सूख चुकी है। छत्तीसगढ़ की अन्य नदियों की भी यही दुर्दशा है। जलविहीन नदियों को देख कर कुछ लोग विचलित हो रहे है। पिछले दिनों कुछ लोगों ने स्कूली बच्चों के साथ इंद्रावती जन-जागरण यात्रा निकाली। शिवनाथ नदी के संरक्षण के लिए शिवनाथ सेवा मंडल बना जो पिछले एक-दो वर्षों से नदी के तट पर निरंतर आरती करता है, साफ-सफाई करता है। कुछ परपीड़क किस्म के लोग इन्हें विचित्र नजरों से देखते हैं और मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते हैं। वे उनके काम में हाथ नहीं बंटाते, बल्कि उपहास की दृष्टि से देखते हैं।

कहने का मतलब यह है कि नदी जब मरणासन्न हो जाती है तब उसको पुनर्जीवित करने के लिए लोग चिंतित होते हैं। लेकिन ऐसे लोग मुट्ठी भर हैं। जब तक यह मुट्ठी भर चेतना व्यापक जनचेतना में तब्दील नहीं होती, नदियों को बचाना संभव नहीं है। इसलिए अब यह बहुत जरूरी है कि बच्चों में बचपन से ही नदियों का सम्मान करने की बात भरी जाए। चाहे वे बच्चे ग्रामीण हों या शहरी। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो कि प्राथमिक स्तर से ही नदियों के प्रति लगाव पैदा करने वाले पाठ बनाए जाएं। फिर चाहे पहली कक्षा के बच्चे के लिए चार-छह पंक्तियों का कोई नदी गीत हो या फिर स्नातकोत्तर स्तर पर नदियों पर व्यापक अध्ययन वाला कोई पाठ।

कहने का मतलब यह कि बचपन से लेकर जवानी तक बच्चे के जेहन में यह बात रहनी चाहिए कि नदी कितनी जरूरी है। उसका संरक्षण हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि यही वह नदी है जिसके बलबूते हमारी प्यास बुझती है। नदी हमारी जीवनदायिनी है। बच्चों को जब तक हम नदी का महत्त्व नहीं समझाएंगे, उनको जब तक नदियों के निकट नहीं लाएंगे, नदियों के तट की साफ-सफाई करवाने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं करेंगे, वे नदियों के महत्त्व को भला कैसे समझेंगे! ऐसा कुछ अभियान चले तब जाकर बच्चों में नदियों के प्रति अनुराग विकसित होगा। सरकारी हो या निजी, हर तरह के स्कूलों के सभी बच्चों को नदियों के तट पर लाना चाहिए। वहां उनसे शपथ दिलाना चाहिए कि हम जीवन भर नदी को बचाने का प्रण करते हैं। नदी में भूल कर भी कचरा नहीं डालेंगे। शहर का दूषित जल या कचरा नदी में जाने से हम रोकेंगे।

नदी को लेकर जो चिंता हमारा समाज गरमी के अवसर पर दिखाता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि वह भविष्य की आशंका से भयग्रस्त हो जाता है कि अगर कल को जल ही नहीं रहा, तो हाहाकार मच जाएगा। आज भी हम समाचार पढ़ते हैं कि एक-एक बूंद के लिए लोग कैसे खूनी संघर्ष करने लगे हैं। हालत यह है कि कुछ राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर आए दिन विवाद की नौबत बनी रहती है। नदी तो सबकी है। यह किसी एक राज्य की धरोहर हो ही नहीं सकती। नदी प्रकृति का मनुष्य को अनुपम उपहार है। इस पर किसी राज्य का एकाधिकार नहीं हो सकता। इसलिए हर राज्य को एक दूसरे के साथ सहयोग करके समान रूप से जल बंटवारे की कोशिश करनी चाहिए और राज्य की जीवनदायिनी नदी कैसे बची रहे, इसकी भी चिंता करनी चाहिए।

चौपाल

मानवता हुई शर्मसार

हाल में अखबारों में मानवता को शर्मसार करने वाली दो खबरों ने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारा सभ्य समाज, दुनिया को नैतिकता-इंसानियत की शिक्षा देने और कन्या पूजा करने वाला देश खुद अनैतिक और गलत राह पर क्यों बढ़ रहा है? क्या लोगों के भीतर मानवता और नैतिकता का पतन हो रहा है? पंजाब में डेढ़ वर्षीय और देवभूमि हिमाचल में पांच वर्षीय के साथ दुष्कर्म की खबर पढ़ने को मिली। इससे पहले भी छोटी-छोटी बच्चियों के साथ जघन्य अपराधों की खबरें पढ़ने-सुनने को मिलती रही हैं। देश का बुद्धिजीवी वर्ग भी घटनाओं पर कम ही बोलता या लिखता देखा जाता है। देश में समय-समय पर मासूम बच्चियों के साथ अमानवीय काम करने वाले आखिर फांसी के फंदे तक क्यों नहीं पहुंचते? क्यों सरकारें और कानून दरिंदो को सख्त सजा देने में देरी करते हैं? आखिर कब बेटियां देश में सुरक्षित होंगी? ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी हरेक के दिल दिमाग में उठ रहे हैं। बच्चियों के साथ बढ़ते अपराध गंभीर चिंता का विषय हैं। सख्त कानून के साथ-साथ जब तक लोगों में नैतिकता की भावना का प्रचार-प्रसार नहीं होगा, तब तक शायद ऐसी घिनौनी घटनाओं पर रोक लगना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।

● *राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

हत्या से उठे सवाल

अलीगढ़ में एक मासूम की हत्या से देश आहत है। निःसंदेह यह घटना भी अतिनिंदनीय और शर्मसार करने वाली है! देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी घटनाओं की खबरें मिलती रहती हैं जिनसे सिर शर्म से झुक जाता है। हम सब कैंडल मार्च निकालते हैं, शोक सभाएं आयोजित करते हैं और सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कराते हैं, लेकिन तब तक ऐसी ही दूसरी खबरें सामने आ जाती हैं। मामला शांत पड़ जाता है पर न मालूम न्याय मिलता भी है या नहीं? हद तो तब हो जाती है जब ऐसी घटनाओं पर राजनीति शुरू हो जाती है। विडंबना है कि कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने से भी नहीं चूकते! जब तक हम अपने भीतर बदलाव नहीं लाएंगे और एकजुट होकर अन्याय के विरुद्ध लामबंद नहीं होंगे तो फिर यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेगा। शासन-प्रशासन को भी त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा दिलाने में सक्रियता दिखानी चाहिए और पीड़िता को इंसाफ दिलाने में हरसंभव प्रयास करना चाहिए।

● *मंजर आलम, रामपुर डेहरू, मधेपुरा*

वन्यजीवों को खतरा

वन्यजीवों की हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में अहम भूमिका है। ये वन्यजीव कहीं सौंदर्य प्रसाधनों, खाल से बने सामान, दवाइयों, अंगों के व्यापार के लिए तो कहीं अपने आश्रय-स्थल, जंगलों के खत्म हो जाने के चलते भोजन की तलाश में मानव आबादी में घुसने के कारण मारे जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में डेढ़ साल पहले एक तेंदुआ देखा गया। असम में रॉयल बंगाल टाइगर मारा गया, तो दक्षिण में तीन हाथी रेल से कट गए। वन्यजीवों के साथ ये घटनाएं आम हैं। लेकिन इसके लिए होता कुछ नहीं। न जंगल के बीच से पटरियां हटी हैं, न बाढ़ से बचाने का कोई इंतजाम हुआ। उत्तराखंड में भी यह समस्या आम है। जहां तक नागरिकों द्वारा वन्यजीवों को मारे जाने का सवाल है तो ऐसी घटनाएं जनमानस में व्याप्त असुरक्षा के बोध का नतीजा होती हैं। लेकिन काजीरंगा आदि पार्कों की घटनाएं प्रशासनिक उदासीनता का परिचायक है। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि इसे देखने का सरकारों के पास समय ही नहीं है। मानवीय गतिविधियों के दबाव और अंधाधुंध उपभोग की बढ़ती प्रवृत्ति ने भी वन्यजीवों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है।

● *अजीत कुमार गौतम, गोरखपुर*

बढ़ता वायु प्रदूषण

पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस साल की थीम ही वायु प्रदूषण रखी गई है। इस दिवस का महत्व तेजी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि दिन-प्रतिदिन वायु प्रदूषण से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। विश्व स्वास्थ संगठन के अनुसार दस में से नौ व्यक्ति प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। सयुंक्त राष्ट्र ने वायु प्रदूषण होने के कुछ मुख्य कारण गिनाए हैं जैसे की घरेलू ईंधन, वाहनों का धुआं, खेतों में पराली जलाना, कारखानों से निकलने वाला जहरीला धुआं आदि। इस तरह वायु प्रदूषण से लोगों को दमा व अन्य घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। धरती पर बढ़ती आबादी की वजह से वन्य क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा हैं क्योकि औद्योगिक गतविधियों के लिए चीन बेहिसाब कोयले को जलाता है। इसका नुकसान उसके पड़ोसी मुल्कों को भी भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका जो सबसे जिम्मेदार देश कहलाता है, कार्बन उत्सर्जन के मामले में दूसरे नंबर पर है और भारत तीसरे पर है। इसलिए वायु प्रदूषण को सही मायने में हराने के लिए जहरीली गैसों का उत्सर्जन कम करने और पेड़-पौधे लगाने का अभियान चलाने की जरूरत है। तभी पर्यावरण दिवस का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है।

● *निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर*

भविष्य से खिलवाड़

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जिस प्रकार की धांधली सुनाई पड़ रही है और जो नाम सामने आ रहे हैं उनसे मानो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह प्राइवेट विश्वविद्यालय पैसो से डिग्रियां बेचती है उसी तरह पीसीएस मेंस का पेपर बेचा जा रहा है। पिछले पांच-दस सालों से अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। यह उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। संघ लोक सेवा आयोग भी परीक्षाओं का आयोजन कराता है, लेकिन एक भी बार धांधली की खबर सुनाई नहीं देती। तो फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही धांधली का अड्डा क्यों बना हुआ है और क्यों छात्रों के भविष्य को चौपट कर रहा है। सरकार को दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

● *अनुपम राजापुर, प्रयागराज*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com